## [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, dated 29 December, 2011

GSR :- In exercise of the Powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 642 read with sub-section (1) of section 210A and sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following amendments in the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, namely :-

1.

2

(1) These rules may be called the Companies (Accounting Standards) (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication the Official Gazette.

In the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, (hereinafter referred to as the said rules), in the Annexure, Under the heading "B. ACCOUNTING STANDARDS", in the sub-heading "Accounting Standard (AS) 11" relating to "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", after paragraph 46, the following paragraph shall be inserted, namely,-

\* 46A. (1) In respect of accounting periods commencing on or after the 1st April, 2011, for an enterprise which had earlier exercised the option under paragraph 46 and at the option of any other enterprise (such option to be irrevocable and to be applied to all such foreign currency monetary items), the exchange differences arising on reporting of long-term foreign currency monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the period, or reported in previous financial statements, in so far as they relate to the acquisition of a depreciable capital asset, can be added to or deducted from the cost of the asset and shall be depreciated over the balance life of the asset, and in other cases, can be accumulated in a "Foreign Currency Monetary Item Translation Difference Account" in the enterprise's financial statements and amortized over the balance period of such long term asset or liability, by recognition as income or expense in each of such periods, with the exception of exchange differences dealt with in accordance with the provisions of paragraph 15 of the said rules.

(2) To exercise the option referred to in sub-paragraph (1), an asset or liability shall be designated as a long term foreign currency monetary item, if the asset or liability is expressed in a foreign currency and has a term of twelve months or more at the date of origination of the asset or the liability:

Provided that the option exercised by the enterprise shall disclose the fact of such option and of the amount remaining to be amortized in the financial statements of the period in which such option is exercised and in every subsequent period so long as any exchange difference remains unamortized."

> [F.No.17/133/2008-CL.V] Rel\_\_\_\_ RENUKA KUMAR Joint Secretary to the Government of India

Foot Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide GSR 739(E), dated the 7<sup>th</sup> December, 2006 and amended vide notification number G.S.R.212(E), dated the 27<sup>th</sup> March, 2008 and subsequently amended by GSR No. 225(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2009 and GSR No. 378(E), dated the 11<sup>th</sup> May, 2011. [भारत के राजपत्र असाधारण भाग-11 खंड-3 उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

## भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## <u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, दिनांक: 29 दिसंबर, 2011

सा.का.नि. :- केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) एवं धारा 211 की उपधारा (3ग) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखांकन मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, नामत:-

- (1) इन नियमों को कंपनी (लेखांकन मानक) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जाएगा।
  - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा जाएगा) में अनुलग्नक में शीर्ष "ख लेखांकन मानक" के अंतर्गत "विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनों का प्रभाव" से संबंधित उप-शीर्ष "लेखांकन मानक (एएस) 11" में अनुच्छेद 46 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामत:-

"46क (1) 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात प्रारंभ होनी वाली लेखांकन अवधि के संबंध में, वैसे उद्यम के लिए जिन्होंने पहले अनुच्छेद 46 के तहत विकल्प का प्रयोग किया है एवं किसी अन्य उद्यम के विकल्प पर (ऐसा विकल्प अपरिवर्तनीय होगा एवं ऐसी सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर लागू होगा) इस अवधि के प्रारंभ में रिकार्ड किए गए या पिछले वित्तीय विवरणों में दी गई दरों से भिन्न दर पर लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग से उत्पन्न विनिमय अंतर, जहां तक उनका संबंध अवमूल्यन योग्य पूंजी संपत्ति के अधिग्रहण से है, को संपत्ति की कीमत में जोड़ा या उससे घटाया जा सकता है एवं संपति के शेष जीवन से घटाया जा सकता है, एवं अन्य मामलों में, उद्यम के वितीय विवरणों में "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाता" में जमा किया जा सकता है, एवं उक्त नियमावली के अनुच्छेद 15 के उपबंधों के अनुरूप निकाले गए विनिमय जंतरों को छोड़कर ऐसी प्रत्येक अवधि में आदल्ला के अनुरूप निकाले गए विनिमय जंतरों को छोड़कर ऐसी प्रत्येक अवधि में आदल्ला किया जा सकता है। लंबी अवधि की संपत्ति या देयता की बाकी अवधि में परिशोधित किया जा सकता है।

(2) उप अनुच्छेद (1) में संदर्भित विकल्प का प्रयोग करने के लिए, यदि परिसंपति या देयता को विदेशी मुद्रा में व्यक्त किया जाता है एवं परिसंपत्ति या देयता के प्रारंभ होने की तिथि में उसकी अवधि 12 माह या उससे अधिक है तो किसी संपति या देयता को लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद के रूप में परिभाषित किया जाएगा:

बशर्ते उद्यम द्वारा चुना गया विकल्प ऐसे विकल्प के तथ्य का एवं उस अवधि के वितीय विवरण में, जिसमें ऐसा विवरण चुना गया हो एवं तत्पश्वात आने वाले प्रत्येक अवधि में परिशोधित होने के लिए शेष राशि का प्रकटीकरण करेगा जब तक कि परिशोधन हेत् कोई विनिमय अंतर शेष रहता है।"

[फा.सं.17/133/2008-सीएल-V]

रेजीम कुमार रेणुका कुमार

100203-0

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2 खंड-3 उप-खंड (i) में सा.का.नि. 739(अ) दिनांक 07 दिसंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे एवं अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212(अ) दिनांक 27 मार्च, 2008 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था एवं सा.का.नि. 225(अ) दिनांक 31 मार्च, 2009 एवं सा.का.नि. 378(अ) दिनांक 11 मई, 2011 द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे।